

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1170
उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

शिक्षकों के रिक्त पद

1170 श्री रायगा कृष्णैया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2024 से 2026 तक कक्षा 1 से 10 के लिए तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य द्वारा स्वीकृत विद्यालयी शिक्षकों के कुल पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त वर्षों के दौरान कक्षा 1 से 10 के लिए भरे गए शिक्षकों के कुल पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ग) वर्ष 2024 से 2026 तक कक्षा 1 से 10 के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है तथा इन रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण क्या हैं; और
- (घ) प्रत्येक राज्य में, विशेष रूप से तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में विलय/समेकन/युक्तिसंगतीकरण के अंतर्गत बंद किए गए विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती हैं। ग्रामीण, जनजातीय और आकांक्षी जिलों सहित सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन, शिक्षक तैनाती को युक्तिसंगत बनाने और नामांकन में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण समय-समय पर शिक्षकों की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। वर्ष 2024 से 2026 की अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में संस्वीकृत पदों, शिक्षक रिक्तियों के सापेक्ष संस्वीकृत शिक्षक पदों, पदस्थ शिक्षकों तथा इन रिक्तियों के कारणों से संबंधित राज्य-वार आँकड़े, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 तक देश भर के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है।

शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्र नामांकन में वृद्धि के परिणामस्वरूप नए पदों के सृजन और नए स्कूलों की स्थापना जैसे कारकों के कारण रिक्तियां समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसी रिक्तियों को भरने की समयसीमा भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के तंत्रों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की सलाह देती है। प्रतिस्पर्धी चयन, निरंतरता और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान पर बल देने के साथ बैठकों और परामर्शिकाओं के माध्यम से भर्ती की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में प्रत्येक स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम बनाए रखने पर बल दिया गया है। यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, राष्ट्रीय पीटीआर मूलभूत चरण में 10, प्रारंभिक चरण में 12, मध्य चरण में 17 और माध्यमिक चरण में 21 है। तेलंगाना राज्य में, संबंधित पीटीआर 11, 10, 11 और 14 है, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में, यह क्रमशः 11, 12, 16 और 15 है, जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के अंतर्गत है।

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना/विलय करना/बंद करना/समेकन/युक्तिसंगतीकरण संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है - जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत समुचित सरकार है।

यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 तक सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक II में दी गई है।

समग्र शिक्षा की एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

माननीय संसद सदस्य श्री रायगा कृष्णैया द्वारा "शिक्षकों के रिक्त पद" के संबंध में दिनांक 29/07/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1170 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में पदस्थ शिक्षकों (पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक) की संख्या

राज्य/यूटी	पढ़ाई गई कक्षाओं के अनुसार शिक्षकों की संख्या (पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक)		
	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	9155644	9438291	9574324
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5139	5486	5502
आंध्र प्रदेश	307327	312419	323520
अरुणाचल प्रदेश	23711	24145	24315
असम	323828	321173	325602
बिहार	627686	671302	689763
चंडीगढ़	9229	8978	9490
छत्तीसगढ़	265593	271982	274859
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4561	4842	4915
दिल्ली	133196	135192	136053
गोवा	12284	12867	13595
गुजरात	363419	358599	365890
हरियाणा	237302	249876	253426
हिमाचल प्रदेश	87011	88837	89420
जम्मू और कश्मीर	156840	156832	156404
झारखंड	198453	199575	200077
कर्नाटक	393499	410350	420103
केरल	250679	252793	255123
लद्दाख	6038	6498	6730
लक्षद्वीप	802	668	645
मध्य प्रदेश	612388	682492	692820
महाराष्ट्र	671153	680872	682530
मणिपुर	37509	38162	38383
मेघालय	52926	54116	55194
मिजोरम	21062	22786	23095
नागालैंड	31166	31774	31717
ओडिशा	315143	322260	319057
पुडुचेरी	11688	12132	12593
पंजाब	243561	244970	249451
राजस्थान	736622	752632	753631
सिक्किम	14083	13686	13866
तमिलनाडु	503639	487863	504353
तेलंगाना	313456	330744	340995
त्रिपुरा	33644	33862	34050
उत्तर प्रदेश	1470406	1546173	1573705
उत्तराखंड	117698	121300	125089
पश्चिम बंगाल	562903	570053	568363

(यूडाइज+ के अनुसार)

माननीय संसद सदस्य श्री रायगा कृष्णैया द्वारा "शिक्षकों के रिक्त पद" के संबंध में दिनांक 29/07/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1170 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
देश में स्कूलों की कुल संख्या

राज्य/यूटी	स्कूलों की कुल संख्या		
	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	1471891	1471473	1466682
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	412	408	411
आंध्र प्रदेश	61373	61317	60843
अरुणाचल प्रदेश	3490	3229	3159
असम	56630	55283	55333
बिहार	94686	94339	95285
चंडीगढ़	230	207	208
छत्तीसगढ़	56615	56802	57036
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	432	433	426
दिल्ली	5497	5556	5643
गोवा	1487	1479	1473
गुजरात	53626	53355	53425
हरियाणा	23517	23494	23479
हिमाचल प्रदेश	17826	17330	17064
जम्मू और कश्मीर	24296	24192	24228
झारखंड	44475	44376	44378
कर्नाटक	75869	74859	74578
केरल	15864	15757	15750
लद्दाख	995	961	883
लक्षद्वीप	37	36	34
मध्य प्रदेश	123412	122120	119694
महाराष्ट्र	108237	108250	108139
मणिपुर	4646	4666	4662
मेघालय	14601	14587	11462
मिजोरम	3941	3974	3965
नागालैंड	2725	2750	2715
ओडिशा	61693	61565	61594
पुडुचेरी	735	763	770
पंजाब	27404	27281	27233
राजस्थान	107757	106302	106445
सिक्किम	1254	1245	1213
तमिलनाडु	58722	57935	57566
तेलंगाना	42901	43154	41762
त्रिपुरा	4923	4943	4964
उत्तर प्रदेश	255087	262358	265278
उत्तराखंड	22551	22452	22437
पश्चिम बंगाल	93945	93715	93147

(यूडाइज+ के अनुसार)